आदेश फलक

(देखें अभिलेख हस्तक, 1942 का नियम 129)

समाहरणालय, सहरसा

(जिला विधि शाखा)

अधिहरण (उत्पाद) वाद सं0.......20......./ 17–18

राज्य बनाम मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43F-5077

आदेश का क्रम–संख्या और तारीख 1	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर 2	आदेश पर की गई कार्रवाई के बाद के टिप्पणी, तारीख–सहित। 3
11.8.18	पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रतिवेदन एवं प्रस्ताव के आलोक में बसनहीं थाना कांड संख्या–15 / 17 दिनांक–05.02.17 में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 30 (a) के तहत जब्त वाहन मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43F-5077 को मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 के तहत अधिग्रहण की कार्यवाही प्रारम्भ करते हुए विपक्षी को अपना पक्ष स्वयं या अपने अधिवक्ता के माध्यम से प्रस्ताव करने हेतु नोटिश किया गया। तामिला प्रतिवेदन प्राप्त। पुलिस अधीक्षक, सहरसा के प्रतिवेदन से स्पष्ट है कि बसनही थाना कांड संख्या–15 / 17 दिनांक–05.02.17 में बसनही थाना अन्तर्गत बड़गॉव सायफन स्थित संदेह के आधार पर लाल रंग पैसन X Pro मोटर साईकिल जिसका पंजीयन सं0– BR-43F-5077 के साथ–साथ एक लाल रंग का जेन कम्पनी का डब्ल सिम वाला मोबाईल तथा पोलोथीन के कुल 16 लीटर अवैध देशी महुआ शराब के साथ अभियुक्त रौशन कुमार यादव उर्फ रौशन यादव पे0 विनय प्र0 यादव सा0 अतलखा को गिरफ्तार किया गया। उक्त देशी शराब और जब्त वाहन को अभिरक्षा में लेकर अभियोग दर्ज किया गया। राज्य की ओर से विशेष लोक अभियोजक उत्पाद को सुना। उनके द्वारा बताया गया कि जब्त वाहन से अवैध देशी महुआ शराब बरामद की गई है। जिससे स्पष्ट होता है कि जब्त वाहन से शराब का परिवहन किया गया है। जिससे वाहन का अवैध शराब के कारोबार में लिप्त होने की मंशा स्पष्ट होती है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 में प्रदत्त शक्तियों के आलोक में जब्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना आवश्यक है। विपक्षी की ओर से कारणपृच्छा दाखिल। कारणपृच्छा में अभिकथन किया गया कि बसनही थाना कांड सं0–15 / 17 में जो मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0–BR-43F-5077 जिसका सभी कागजात मेरे पास है। जिस दिन मेरी गाड़ी पकड़ी गयी है, मैं गाड़ी से खेत जा रहा था तथा मेरे ही गांव के	

11.8.18

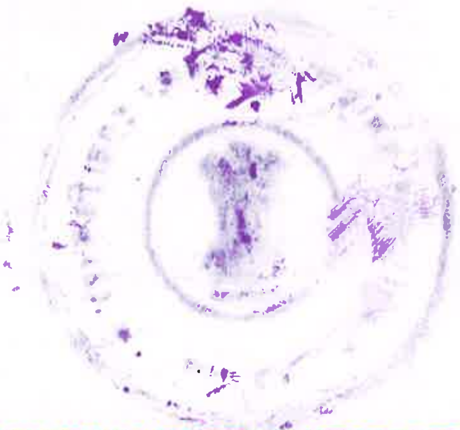

मनीष यादव ने कहा की मैं भी आपके साथ जाउँगा। जब हम साईफन के पास पहूँचे तो बसनही थाना के पुलिस कर्मी के द्वारा जॉच पड़ताल किया जा रहा था। जब मेरी गाड़ी को जॉच पड़ताल किया तो मेरे साथ जो व्यक्ति मनीष यादव पुलिस को देखते ही मोटर साईकिल छोड़कर भाग गया, इतने में पुलिस के द्वारा जो जॉच पड़ताल किया गया तो बतीस पीस महुआ शराब पोलिथिन का वजन लगभग 50 एम0एल0 कुल 16 लीटर पाया गया। और मुझे गिरफ्तार कर मंडल कारा जेल भेज दिया गया। मुझे न्यायालय सी0एम0 झा जिला अपर सत्र न्यायाधीश सहरसा के द्वारा जमानत दिया गया। जब मैं जेल से निकला तो इस संबंध में मेरे द्वारा न्यायालय में गाड़ी मुक्त करने वास्ते आवेदन दिया मगर न्यायालय के द्वारा अपने गाड़ी से मुक्त करने के संबंध में रिर्पोट का मांग किये, परन्तु बिहार गजट असाधारण 02 अक्टूबर 2016 के आदेश के आलोक में यह पारित किया गया कि इस संबंध में जिला पदाधिकारी महोदय के यहॉ से नोटिस मिलने के बाद जबाब देने के बाद आदेश निर्गत होगा। मैं नाहक इस केस में तंग तबाह हो रहा हूँ। घटना में मेरा कोई हाथ नहीं है। नाहक ही इस में तीन महीना जेल में रह गया। साथ ही मेरी नई मोटर साईकिल थाना में पड़ी हुई है। मैं बिल्कुल गरीब वो असहाय व्यक्ति हूँ। मेरी मोटर साईकिल जब से पकड़ाई है तब से मेरा कारोबार सब नष्ट हो गया है। मुझे भुखमरी की समस्या उत्पन्न हो गयी है। मनीष यादव आजतक न्यायालय में हाजिर नहीं हुआ है तथा मीनष यादव आज भी गॉव में घूम रहा है।

इनके वाहन से शराब परिवहन नहीं किया गया है न तो ऐसा अभिकथन है और न ही इस सम्बन्ध में इनके द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत किया गया।

विशेष लोक अभियोजक उत्पाद के अभिकथन तथा पुलिस अधीक्षक, सहरसा से प्राप्त प्रस्ताव अवलोकन से स्पष्ट होता है कि वाहन से अवैध शराब बरामद हुआ है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू होने के बाबजूद जब्त वाहन से शराब पाया जाना दण्डनीय अपराध है। ऐसी स्थिति में बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की तहत उक्त वाहन का अधिग्रहण किया जाना विधिसम्मत् प्रतीत होता है।

अतः जब्त मोटर साईकिल रजिस्ट्रेशन नं0– BR-43F-5077 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 की धारा 58 (2) में प्रदत् शक्तियों का प्रयोग करते हुए अधिग्रहण करने का आदेश दिया जाता है। अधीक्षक उत्पाद, सहरसा एवं प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा को आदेश दिया जाता है कि जब्त वाहन का मोटरयान निरीक्षक, सहरसा से मूल्यांकन कराकर विधिवत नीलामी कर विक्री राशि सरकारी कोष में जमा कर दें। आदेश की प्रति अनुपालन हेतु प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा एवं अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को देगें।

इसी के साथ वाद की कार्रवाई समाप्त की गयी है।

11.8.18 — समाहर्त्ता, सहरसा।

11.8.18 — समाहर्त्ता, सहरसा।

समाहरणालय सरहसा
(जिला विधि शाखा)

ज्ञापांक 1206-2/विधि, दिनांक 17-08-2017

प्रतिलिपि– अधीक्षक उत्पाद, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– प्रभारी पदाधिकारी, राजस्व शाखा, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– मोटरयान निरीक्षक, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि– जिला सूचना विज्ञान पदाधिकारी, सहरसा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रभारी पदाधिकारी,
12.08.17 विधि शाखा, सहरसा।